

# वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

## अनुमति-पत्र

सं० 61 / जो० अ०

दिनांक 26/10/21

### गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री श्रीमती सुनील कुमारी, संजय कुमार अग्रवाल, शक्ति कुमारी सिंह,  
जसिये जयदेव अग्रवाल, सूर्येश्वरी देवी, राम शंकर सिंह, आराजी संख्या 581/अ०, 582/अ०, 583/अ०  
पिता/पति का नाम श्री शिवपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिह्नित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक.....20



कृते उपाध्यक्ष

वाराणसी विकास प्राधिकरण  
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञायम्य इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर .....दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।



## 8- स्वीकृत मानचित्र का विवरण

- (1) भू-खण्ड का कुल क्षेत्रफल.....
- (2) भू-उपयोग.....
- (3) भागीधारिकार का क्षेत्रफल..... चौड़ाई.....
- (4) वास्तविक भू-खण्ड का क्षेत्रफल.....
- (5) तलों की संख्या.....
- (6) सेटबैक-फन्ट.....
- रियर.....
- साइड-1.....
- साइड-2.....

## प्रतिबन्ध

1. स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
2. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण करना होगा।
3. भवन पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. पार्किंग प्लान (बेसमेन्ट, रिटल्ट) पर मूवमेन्ट के साथ नम्बारेग अंकित करके पूर्णता से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
5. स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग आई0आई0टी0 रुडकी अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
6. रूफटाप फोटोवोल्टाइक पैनल, टैरेस के 25 प्रतिशत भाग पर स्थापित करना होगा तथा कनेक्शन भवन के पैरोज, सर्विस में देने के पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
7. आन्तरिक विकास हेतु विक्रय योग्य भूमि का 10 प्रतिशत बन्धक रखना होगा।
8. EWS/LIG का निर्माण समूह आवास के साथ करना होगा।
9. रेन वाटर हार्वैस्टिंग का कार्य वाटर ग्राउण्ड बोर्ड के डिजाइन के अनुसार करना होगा, कार्य पूर्ण होने पर आर्किटेक्ट के द्वारा पुष्टि के पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. बेसमेन्ट में प्रकाश एवं संवातन के लिए मैकेनिकल वेन्टिलेशन की व्यवस्था करना होगा।
11. भवन ऊचाई 30 मीटर से अधिक है। इसलिए डक्ट में मैकेनिकल वेन्टिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
12. लेबर सेस एक वर्ष का शुल्क जमा किया गया है। अवशेष किश्त समयानुसार जमा करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. स्थल पर पी0एन0जी0 गैस का प्राविधान करना होगा।
14. E.C.B.C. के शर्तों का अनुपालन करना होगा।
15. प्राप्त एन0ओ0सी0 के शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. यदि भविष्य में कोई देयता निकलती है तो पक्ष को जमा कराने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. भू-स्वामित्व विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
18. प्रस्तावित प्लान एवं आराजी के सुपर इम्पोज प्लान करने के पश्चात् मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
19. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सीवर डिस्पोजल व जल निकासी, विद्युत व्यवस्था, जनरेटर सेट, ट्रांसफार्मर को प्लान पर चिन्हित करना होगा।

7